रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1417] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 2019/चैत्र 26, 1941
No. 1417] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 2019/CHAITRA 26, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2019

का.आ. 1597(अ).— केंद्रीय सरकार तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 6 क की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद आमंत्रित की गई बोलियों के संबंध में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के तहत प्रदान किए जाने वाले संविदागत क्षेत्रों से कच्चे तेल, कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन शीघ्र शुरू होने की स्थिति में वे रियायती दरें, जिन पर रॉयल्टी देय होगी, विनिर्दिष्ट करने के लिए, उक्त अधिनियम की अनुसूची में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:

उक्त अधिनियम की अनुसूची में, -

(i) कच्चे तेल के संबंध में प्रविष्टि-I के अधीन, –

(क) पैराग्राफ (4), के बाद निम्निलिखत पैराग्राफ शामिल किया जाएगा, नामत: -

"(5) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के तहत प्रदान किए गए संविदागत क्षेत्रों से वाणिज्यिक उत्पादन के शीघ्र शुरू होने की स्थिति में रायल्टी की रियायती दरे:

इस पैराग्राफ के लागू होने के बाद या उसके बाद आमंत्रित की गई बोलियों के संबंध में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के तहत प्रदान किए गए संविदागत क्षेत्रों के लिए निम्नानुसार वाणिज्यिक उत्पादन के शीघ्र शुरू होने की स्थिति में, रॉयल्टी की रियायती दरें लागू होंगी:

(क) जमीनी ब्लॉकों के लिए;

यदि संबंधित संविदा में यथा विनिर्दिष्ट प्रभावी तारीख से चार वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाता है:

(क) श्रेणी-I बेसिनों में : 11.25%

(ख) श्रेणी-II बेसिनों में : 10%

(ग) श्रेणी-III बेसिनों में : 8.75%

(ख) उथले समुद्री ब्लॉकों के लिए;

यदि संबंधित संविदा में यथा विनिर्दिष्ट प्रभावी तारीख से चार वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाता है:

(क) श्रेणी-I बेसिनों में : 6.75%

(ख) श्रेणी-II बेसिनों में : 6%

(ग) श्रेणी-III बेसिनों में : 5.25%

(ग) गहरे समुद्री ब्लॉकों के लिए;

यदि संबंधित संविदा में यथा विनिर्दिष्ट प्रभावी तारीख से पांच वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाता है:

वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से पहले सात वर्षों के लिए कोई रायल्टी देय नहीं होगी और उसके बाद निम्नानुसार देय होगी:

(क) श्रेणी-I बेसिनों में : 4.5%

(ख) श्रेणी-II बेसिनों में : 4%

(ग) श्रेणी-III बेसिनों में : 3.5%

(घ) अत्यधिक गहरे समुद्री ब्लॉकों के लिए;

यदि संबंधित संविदा में यथा विनिर्दिष्ट प्रभावी तारीख से पांच वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाता है:

वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से पहले सात वर्षों के लिए कोई रायल्टी देय नहीं होगी और उसके बाद निम्नानुसार देय होगी:

(क) श्रेणी-I बेसिनों में : 1.8%

(ख) श्रेणी-II बेसिनों में : 1.6%

(ग) श्रेणी-III बेसिनों में : 1.4%

(ii) केसिंग हेड कंडन्सेट के संबंध में प्रविष्टि-II के नीचे –

(क) पैराग्राफ (4), के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ शामिल किया जाएगा, नामत: -

"(5) इस पैराग्राफ के लागू होने या उसके बाद आमंत्रित की गई बोलियों के संबंध में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के तहत प्रदान किए गए संविदागत क्षेत्रों से वाणिज्यिक उत्पादन के शीघ्र शुरू होने के संबंध में, कच्चे तेल के लिए लागू रॉयल्टी की रियायती दरों के सभी प्रावधान कंडेनसेट के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे";

(iii) प्राकृतिक गैस के संबंध में प्रविष्टि-III के नीचे, –

(क) पैराग्राफ (3) के बाद निम्निलिखत पैराग्राफ शामिल किए जाएंगे, नामत: -

"(4) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के तहत प्रदान किए गए संविदागत क्षेत्रों से वाणिज्यिक उत्पादन शीघ्र शुरू होने की स्थिति में रायल्टी की रियायती दरें:

इस पैराग्राफ के लागू होने या उसके बाद आमंत्रित की गई बोलियों के संबंध में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के तहत प्रदान किए गए संविदागत क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन के शीघ्र शुरू होने की स्थिति में, रॉयल्टी की रियायती दरें निम्नानुसार लागू होंगी:

(क) जमीनी ब्लॉकों के लिए;

यदि संबंधित संविदा में यथा विनिर्दिष्ट प्रभावी तारीख से चार वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाता है:

(क) श्रेणी-I बेसिनों में : 9%

(ख) श्रेणी-II बेसिनों में : 8%

(ग) श्रेणी-III बेसिनों में : 7%

(ख) उथले समुद्री ब्लॉकों के लिए;

यदि संबंधित संविदा में यथा विनिर्दिष्ट प्रभावी तारीख से चार वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाता है:

(क) श्रेणी-I बेसिनों में : 6.75%

(ख) श्रेणी-II बेसिनों में : 6%

(ग) श्रेणी-III बेसिनों में : 5.25%

(ग) गहरे समुद्री ब्लॉकों के लिए;

यदि संबंधित संविदा में यथा विनिर्दिष्ट प्रभावी तारीख से पांच वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाता है:

वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से पहले सात वर्षों के लिए कोई रायल्टी देय नहीं होगी और उसके बाद निम्नानुसार देय होगी:

(क) श्रेणी-I बेसिनों में : 4.5%

(ख) श्रेणी-II बेसिनों में : 4%

(ग) श्रेणी-III बेसिनों में : 3.5%

(घ) अत्यधिक गहरे समुद्री ब्लॉकों के लिए;

यदि संबंधित संविदा में यथा विनिर्दिष्ट प्रभावी तारीख से पांच वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाता है:

वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से पहले सात वर्षों के लिए कोई रायल्टी देय नहीं होगी और उसके बाद निम्नानुसार देय होगी:

(क) श्रेणी-I बेसिनों में : 1.8%

(ख) श्रेणी-II बेसिनों में : 1.6%

(ग) श्रेणी-III बेसिनों में : 1.4%

(5) मौजूदा प्रशासित मूल्य व्यवस्था क्षेत्रों (एपीएम क्षेत्र) से अतिरिक्त उत्पादन:

एपीएम क्षेत्रों से सामान्य कारोबार (बीएयू) परिदृश्य से अधिक अतिरिक्त उत्पादन, जिसका मूल्यांकन तृतीय पक्षकार विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा किया गया है और जिसे हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, रॉयल्टी की मौजूदा लागू दरों में दस प्रतिशत की कटौती के लिए पात्र होगा";

(iv) नोट 3 के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ शामिल किया जाएगा, नामत:- -

"नोट 4: कच्चे तेल, कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस रॉयल्टी की रियायती दरों के प्रयोजनों के लिए भारत के तलछटीय बेसिनों को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जाएगा:

श्रेणी - I	**श्रेणी - II**	**श्रेणी - III**
1. कृष्णा -गोदावरी बेसिन	1. सौराष्ट्र बेसिन	1. केरल-कोंकण बेसिन
2. मुंबई अपतटीय बेसिन	2. कच्छ बेसिन	2. बंगाल-पूर्णिया बेसिन
3. असम शेल्फ बेसिन	3. विंध्य बेसिन	3. गंगा-पंजाब बेसिन
4. राजस्थान बेसिन	4. महानदी बेसिन	4. प्रणीता-गोदावरी बेसिन
5. कावेरी बेसिन	5. अंडमान-निकोबार बेसिन	5. सतपुरा-दक्षिण रीवा-दामोदर बेसिन
6. असम-अराकान फोल्ड बेल्ट		6. हिमालय तलहटी
7. खम्बात बेसिन		7. छत्तीसगढ़ बेसिन

		8. नर्मदा बेसिन 9. स्पीति-ज़ांस्कर बेसिन 10. डेक्कन सिन्क्लिाइस बेसिन 11. कडप्पा बेसिन 12. करेवा बेसिन 13. भीमा -कलादागी बेसिन 14. बस्तर बेसिन

[सं.ओ-11019(18)/6/2018-अन्वेषण-I-पीएनजी]

अमर नाथ, संयुक्त सचिव

नोट: - तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की अनुसूची पहली बार दिनांक 26 मार्च, 1981 की अधिसूचना संख्या का.आ. 219(अ) द्वारा संशोधित की गई थी और पिछला संशोधन दिनांक 14 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 367(अ) द्वारा किया गया।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2019

S.O. 1597(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6A of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Schedule to the said Act, so as to specify the concessional rates at which royalty shall be payable in case of early commencement of the commercial production of crude oil, condensate and natural gas from the contract areas to be awarded under Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy in respect of bids invited subsequent to the date of publication of this notification, namely:-

In the Schedule to the said Act,-

(i) under the entry 1 relating to Crude Oil,-

(a) after paragraph (4), the following paragraph shall be inserted, namely:-

"(5) Concessional rates of royalty in case of early commercial production from contract areas awarded under Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy:

For contract areas awarded under Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy in respect of bids invited on or after the coming into force of this paragraph, concessional rates of royalty shall apply if there is early commencement of commercial production as below:

(A) In case of onland blocks;

If commercial production is commenced within four years from the effective date as specified in the respective contract:

(a) in Category –I Basins: 11.25%

(b) in Category –II Basins: 10%

(c) in Category-III Basins: 8.75%.

(B) In case of shallow water blocks;

If commercial production is commenced within four years from the effective date as specified in the respective contract:

(a) in Category –I Basins: 6.75%

(b) in Category –II Basins: 6%

(c) in Category-III Basins: 5.25%.

(C) In case of deep water blocks;

If commercial production is commenced within five years from the effective date as specified in the respective contract:

No royalty shall be payable for the first seven years from the date of commercial production and shall be payable thereafter as below:

(a) in Category –I Basins: 4.5%

(b) in Category –II Basins: 4%

(c) in Category-III Basins: 3.5%.

(D) In case of ultra deep water blocks;

If commercial production is commenced within five years from the effective date specified in the respective contract:

No royalty shall be payable for the first seven years from the date of commercial production and shall be payable thereafter as below:

(a) in Category –I Basins: 1.8%

(b) in Category –II Basins: 1.6%

(c) in Category-III Basins: 1.4%.";

(ii) under the entry 2 relating to Casing Head Condensate,-

(a) after paragraph (4), the following paragraph shall be inserted, namely:-

"(5) In respect of early commencement of commercial production from contracts areas awarded under Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy in respect of bids invited on or after the coming into force of this paragraph, all the provisions of concessional rates of royalty applicable for crude oil shall apply mutatis mutandis to condensates.";

(iii) under the entry 3 relating to Natural Gas,-

(a) after paragraph (3), the following paragraphs shall be inserted, namely:-

"(4) Concessional rates of royalty in case of early commercial production from contract areas awarded under Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy:

For contract areas awarded under Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy in respect of bids invited on or after the coming into force of this paragraph, concessional rates of royalty shall apply if there is early commencement of commercial production as below:

(A) In case of onland blocks;

If commercial production is commenced within four years from the effective date as specified in the respective contract:

(a) in Category –I Basins: 9%

(b) in Category –II Basins: 8%

(c) in Category-III Basins: 7%.

(B) In case of shallow water blocks;

If commercial production is commenced within four years from the effective date as specified in the respective contract:

(a) in Category –I Basins: 6.75%

(b) in Category –II Basins: 6%

(c) in Category-III Basins: 5.25%.

(C) In case of deep water blocks;

If commercial production is commenced within five years from the effective date as specified in the respective contract:

No royalty shall be payable for the first seven years from the date of commercial production and shall be payable thereafter as below:

(a) in Category –I Basins: 4.5%

(b) in Category –II Basins: 4%

(c) in Category-III Basins: 3.5%.

(D) In case of ultra deep water blocks;

If commercial production is commenced within five years from the effective date as specified in the respective contract:

No royalty shall be payable for the first seven years from the date of commercial production and shall be payable thereafter as below:

(a) in Category –I Basins: 1.8%

(b) in Category –II Basins: 1.6%

(c) in Category-III Basins: 1.4%.

(5) Additional production from existing Administered Price Mechanism fields (APM Fields):

The additional production of gas from APM Fields over and above Business as Usual (BAU) scenario which has been evaluated by third party expert agency and approved by Directorate General of Hydrocarbons shall be eligible for reduction in rates of royalty by ten per cent. of the existing applicable rates.";

(iv) after Note 3, the following paragraph shall be inserted, namely.-

"Note 4: For the purposes of the concessional rates of royalty for crude oil, condensates and natural gas, the categorisation of sedimentary basins of India shall be as under:

Category - I	Category - II	Category – III
1. Krishna -Godavari Basin 2. Mumbai Offshore Basin 3. Assam Shelf Basin 4. Rajasthan Basin 5. Cauvery Basin 6. Assam-Arakan Fold Belt 7. Cambay Basin	1. Saurashtra Basin 2. Kutch Basin 3. Vindhyan Basin 4. Mahanadi Basin 5. Andaman-Nicobar Basin	1. Kerala -Konkan Basin 2. Bengal-Purnea Basin 3. Ganga-Punjab Basin 4. Pranhita-Godavari Basin 5. Satpura-South Rewa-Damodar Basin 6. Himalayan Foreland 7. Chhattisgarh Basin 8. Narmada Basin 9. Spiti-Zanskar Basin 10. Deccan Syneclise Basin 11. Cuddapah Basin 12. Karewa Basin 13. Bhima-Kaladgi Basin 14. Bastar Basin

[No. O-11019(18)/6/2018-Expl-I-PNG]

AMAR NATH, Jt. Secy.

Note:- The Schedule to the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) was first amended vide notification number S.O. 219(E), dated the 26th March, 1981 and last amended vide notification number S.O. 367(E), dated the 14th January, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.04.16 17:36:57 +05'30'